दिनांक 07.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 08/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना वजीरगंज

●पुलिस कार्यवाही में 35 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

●लूट के 09 हजार रूपये नगद

●01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

●घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 07.06.2024 को थाना वजीरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहीद स्मारक के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजीव घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 09 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना वजीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 35 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी गौरभीट चौराहा फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ, स्थाईपता रामानन्द नगर अल्लापुर थाना जार्ज टाऊन कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 09 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 19 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 आर्टिगा कार आदि बरामद**

दिनांक 06.06.2024 को थाना कोतवाली उरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जालौन रोड़ आई.टी.आई. के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही मां अभियुक्त 1–अनिल 2–रामकृष्ण घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–शौकत 4–बृजेश 5–रामकृष्ण भार्गव सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 19 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 आर्टिगा कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अनिल के विरूद्ध जनपद जालौन व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट,

चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त रामकृष्ण के विरूद्ध जनपद जालौन व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त शौकत के विरूद्ध जनपद जालौन व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त बृजेश एवं रामकृष्ण भार्गव के विरूद्ध जनपद जालौन के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06–06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी महुआ वाला डेरा थाना कुंभराज जनपद गुना मध्यप्रदेश।

2–रामकृष्ण निवासी फूटातालाब भामावत थाना कुंभराज जनपद गुना मध्यप्रदेश।

3–शौकत निवासी महुआ वाला डेरा थाना कुंभराज जनपद गुना मध्यप्रदेश।

4–बृजेश निवासी महुआ वाला डेरा थाना कुंभराज जनपद गुना मध्यप्रदेश।

5–रामकृष्ण भार्गव निवासी ग्राम वीरयायी थाना कुंभराज जनपद गुना मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 19 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 आर्टिगा कार आदि।

जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर

• 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.06.2024 को थाना हाफिजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोना पेट्रोलपम्प गोल चक्कर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ब्रह्मपाल उर्फ ब्रह्मा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़ व दिल्ली एवं हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ब्रह्मपाल उर्फ ब्रह्मा निवासी डी–401 गली नं0–4 वैस्ट थाना करावल नगर दिल्ली।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

•पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी/धोखाधड़ी के 19 हजार 800 रूपये नगद

•61 एटीएम कार्ड

•01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)

•02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 06/07.06.2024 की रात्रि थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जानसठ–खतौली मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नकुल 2–अनुज घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–अंकित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 19 हजार 800 रूपये नगद, 61 एटीएम कार्ड, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नकुल निवासी नूरनगर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर।

2—अनुज निवासी ग्राम लहबौली थाना मंगलौर, हरिद्वार।

3—अंकित निवासी ग्राम महतौली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी/धोखाधड़ी के 19 हजार 800 रूपये नगद।

2—61 एटीएम कार्ड।

3—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

4—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बलिया/थाना उभांव

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•01 अवैध कर्बाइन 9 एमएम, 04 जीवित कारतूस

•03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद

दिनॉकः 06.06.2024 की रात्रि थाना उभांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुर्तीपार मेन रोड के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—गुलशन कुमार 2—टुन्नू उर्फ आलोक रंजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध कर्बाइन 9 एमएम, 04 जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना उभांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही ही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुलशन कुमार निवासी पचबेनियां थाना असांव, सिवान, बिहार।

2—टुन्नू उर्फ आलोक रजंन निवासी पतार थाना रघुनाथपुर जनपद सिवांन, बिहार।

बरामदगी

1–01 अवैध कर्बाइन 9 एमएम, 04 जीवित कारतूस।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना अदलहाट

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोइन

•नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन

•घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद

दिनांक 06.06.2024 को थाना अदलहाट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रसूलागंज चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–मोहम्मद सराफत 2–साबिर कलन्दर उर्फ एसकेटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोइन, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद सराफत निवासी वार्ड नं0–07 स्टुवरगंज थाना मोहनिया जनपद भभुआ कैमूर बिहार।

2–साबिर कलन्दर उर्फ एसकेटी निवासी वार्ड नं0–07 स्टुवरगंज थाना मोहनिया जनपद भभुआ कैमूर बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 22 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

•02 मोबाइल फोन

•1015/—रूपये नगद बरामद

दिनॉकः 06.06.2024 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अहरौरा डीह से 02 अभियुक्तों 1—जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू 2—विपुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 22 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 1015/—रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र कुमार उर्फ जीतू निवासी नगलान थाना नोनेर जनपद मैनपुरी।

2—विपुल निवासी पकरी थाना पकरी जनपद आरा भोजपुर, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 22 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2—02 मोबाइल फोन।

3—1015/—रूपये नगद।

➢ **जनपद रामपुर/थाना टाण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोनू उर्फ अजयपाल को आजीवन कारावास व 03 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना खेकडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना खेकडा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त मोहन को धारा 302/323/452/504 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त अमित को धारा 302/323/452/504 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लुकई उर्फ अजमत अली को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 12/05 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त चेतन को धारा 363/366/368 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त प्रेमचन्द को धारा 368 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/354/376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ छोटू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———–